बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2016

संख्या-८ (वाद)-८०/२०१५ न०वि०एवंआ०वि०	पटना, दिनांक:- メ6/12/1/
बिहार नगरपालिका आधीनयम, 2007 की धारा–419 के द्वारा प्रदत्त	शिक्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार
राज्यपाल बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन नियमावली,	1987 का संशोधन हेत निम्नालिखित
नियमावली बनाते है:	the state of the s
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंम:- (1) यह नियमावली बिहार नगरप	ालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंजन
(संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।	जिल्ला । साम्यास र्यं के खिरा वर्षा
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य के नगरपालिका क्षेत्र में होगा	. 1
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।	•
2. बिहार नगरपालिका पदाधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन (संशोधन) निय	भावली १९८७ के नियम १० (उन्हीस)
को एतद द्वारा विलोपित किया जाता है।	
	बिहार राज्यपन के आदेश से
	बिहार राज्यपूर्व के आदेश से 24/2/2016 (चैतन्य प्रसाद)
	24/2/2016
	(चैतन्य प्रसाद)
	सरकार के प्रधान सचिव
	नगर विकास एवं आवास विभाग
संख्या—8न0 (वाद)—80/2015 २५/८ न०वि०एवंआ०वि० प्रतिलिपिः—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को	पटना, दिनांक:-96/12/11
प्रातालाप:-अधाक्षक, साचवालयं मुद्रणालयं, गुलजारबागं, पटना को	बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में 🗥
प्रकाशनार्थ अग्रसारित / ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सीo	^{0डी0} के साथ ई–गजट में प्रकाशनार्थ
प्रेण्ति।	
जनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना की 200 प्रतियां नगर विक को उपलब्ध कराने की कृपा करें।	ात एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
को उपलब्ध कराने की कृपा करें।	(/)
	24/12/2016
	सरकार के प्रधान सिच्च
संख्या—8न0 (वाद)—80/2015 <i>99</i> 1 6 न०वि ० एवंआ०वि०	नगर विकास एवं आवास विभाग
संख्या—8न0 (वाद)—80/2015 २० /८ न०वि०एवंआ०वि०	पटना, दिनाक:- 26/१५/१
प्रातालायः—संगा प्रधान साचव्रसमा प्रमङ्लाय आयुक्त्र्रसमा हि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।	जला पदाधिकारा का सूचनार्थ एवं
जापरयक कारपाइ हतु प्रावत ।	(V)
संख्या—8न0 (वाद)—80 / 2015 🔑 / ८ न०वि०एवंआ०वि० प्रतिलिपिः—सभी प्रधान सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी रि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।	
	सरकार के प्रधान सांच्य
संख्या—8न० (वाद)—80/2015 २२१६ न०वि०एवंआ०वि०	नगर विकास एवं आवास विभाग
संख्या—8न0 (वाद)—80/2015 <i>२०१६</i> न०वि०एवंआ०वि० प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विभागीय	40-11, 19-1100 - 10-1100 -
प्रवासाय-नुष्य सायप, बिहार/ नुख्यमत्रा के प्रधान साचव/ विमागार एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।	। मत्रा, नवाववएवआव्यव का सूचनाथ
र्य जायरचय कारवाइ हतु प्रायता।	12011
	भरकार के प्रधान संचिव
	नगर विकास एवं आवास विमाग
संख्या—8न0 (वाद)—80/2015 <i>99</i> /6 न०वि०ए वंआ०वि०	पटना, दिनांक:—34/12/1/
प्रतिलिपि:-विमागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष	यन्ति, विभागः— कित्री जा
नेदेशक/सभी शहरी स्थानीय निकाय/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विव	हाज एवं शावास विकास को सन्त्राणी
रवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।	तरा देव जापात ।क्यार का तूवनाथ
in array and eg and	24/12/2016
	सरकार के प्रधान सचिव
	नगर विकास एवं आवास विभाग
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Government of Bihar **Urban Development and Housing Department Notification**

The Bihar Municipal Officers and Servants Pension (Amendment) Rule, 2016.

Memo No- संख्या-8न0 (वाद)-80/2015 २०/३ UD&HD Patna, Dated- अधिभू In exercise of the powers conferred by section 419 of Bihar Municipal Act, 2007, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Municipal Officers and Servants Pension Rule, 1987.

- 1. Short title, extent and commencement. (1) These Rules may be called The Bihar Municipal Officers and Servants Pension amendment Rules, 2016.
 - (2) It shall extend to the whole Municipal area of the State of Bihar.

2 D. L. 10 c. m. m. m.
2. Rule 19 of The Bihar Municipal Officers and Servants Pension Rules 1987 is hereby deleted.
By the order of the Governor of Bihar 24/12/201/ Principal Secretary
Principal Secretary
links. IV
Wiemo No- संख्या—8न0 (वाद)—80/2015 9977 UD&HD Patna Dated 9/1/10 At
Memo No- संख्या—8न0 (वाद)—80/2015 १९१७ UD&HD Patna, Dated-26/1) है। Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its
2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urhan Development and Housing Department. Principal Secretary Principal Secretary
Principal Socretors / 2011
Copy to Chief S. Patra, Dated- 26/12/1
Copy to Chief Secretary, Bihar, Patna/All Principal Secretary/Secretary/ All Divisional
Commissioner/An District Magistrates for information and necessary across.
Commissioner/All District Magistrates for information and necessary action. Principal Secretary Principal Secretary Urban Dayslan monta and III
Principal Secretary
Memo No- संख्या—8न0 (वाद)—80 /2015 9-91)— Urban Development and Housing Department
$\lim_{n \to \infty} \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}$
Copy to Principal Secretary, to Chief Minister of Ribor Principal Secretary, to Chief Minister of Ribor Principal
Urban Development and Housing Department for information and necessary action.
and necessary action.
Principal Secretary
XI.
Memo No- संख्या—8न0 (वाद)—80/2015 29) - Urban Development and Housing Department, UD&HD Patna Dated 26/11/11
Copy to PS to Principal Secretary/Special Secret
Copy to PS to Principal Secretary/Special Secretary/Deputy Secretary/ All Deputy
Directors/ All Urban Local Bodies/All Section Officers and Secretariat Assistants of Urban Development and Housing Department for information and necessary across

Principal Secretary Urban Development and Housing Department